



समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा वाद की सुनवाई एक पक्षीय की गयी है जो अपने-आप में विरोधाभाष है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि डिमांडधारी स्व० रूप नारायण यादव के दो पुत्री यथा उषा कुंवर जौजे राजमोहन यादव (II) लिलावती देवी जौजे अमरजीत कुमार एवं उनकी पत्नि विधवा मो० नागमति कुंवर को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। डिमांडधारी के मृत्यु के पश्चात् तीनों संयुक्त रूप से प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में आए। डिमांडधारी के विधवा मो० नागमति कुंवर को सम्पूर्ण भूमि पर अधिकार नहीं है। अंचल अधिकारी, नवीनगर वगैर सूचना के स्थलीय जाँच कर पुनरीक्षणकर्ता के नाम दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। जिसे विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा अंचल अधिकारी, नवीनगर के दाखिल खारिज आदेश को निरस्त कर दिया गया जो सही है, इसे बहाल किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अवर न्यायाधीश, प्रथम औरंगाबाद के न्यायालय में बँटवारा वाद सं०-470/2014 दायर किया गया है जो अभी लम्बित है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि डिमांडधारी स्व० रूप नारायण यादव के पत्नि मो० नागमति कुंवर से निबंधित केवाला द्वारा हासिल किया गया है जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, नवीनगर द्वारा जाँचोपरान्त प्रश्नगत भूमि पर पुनरीक्षणकर्ता को दखल कब्जा पाते हुए दाखिल खारिज नियमों के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता के नाम दाखिल खारिज की स्वीकृति देते हुए जमाबंदी कायम कर सरकारी रसीद निर्गत की गयी, जबकि भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा दिनांक-18.11.2011 को पारित आदेश में यह विवेचना की गयी है कि सम्पूर्ण भूमि का किसी एक पक्ष को वसीयत कर देना न्यायसंगत नहीं है, जबकि प्रश्नगत भूमि पुनरीक्षणकर्ता को डिमांडधारी के पत्नि मो० नागमति कुंवर से निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त है जिसके आधार पर पुनरीक्षणकर्ता प्रश्नगत भूमि पर दाखिल काबिज है।

विपक्षी द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में अवर न्यायाधीश, प्रथम औरंगाबाद के न्यायालय में बँटवारा वाद सं०-470/2014 दायर किया गया है, जो अभी लम्बित है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा आदेश पारित करना न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है।



इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, जिसे निरस्त करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ।


अतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा दिनांक-18.11.2011 को पारित आदेश नियमानुसार नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, नवीनगर के दाखिल खारिज वाद सं०-461/2009-10 में दिनांक-~~16.09.2009~~<sup>16.07.2009</sup> को पारित आदेश दाखिल खारिज नियमों के अनुकूल पाते हुए बहाल किया जाता है।


तदनुसार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद ~~...~~ किया जाता है।

इस प्रकार वाद का निष्पादन किया जाता है।

इस आशय की सूचना निम्न न्यायालय को दें।

लेखापित एवं संशोधित

  
अपर समाहर्ता,  
औरंगाबाद।

  
अपर समाहर्ता,  
औरंगाबाद।